बिहार सरकार

<u>समाज कल्याण विभाग</u>

-:: अधिसूचना ::-

सं॰सं॰-स0क॰निग0-56/2017 (खण्ड)-.....7359..../ जिला पदाधिकारी, सीतामढी के पत्रांक- 520 दिनांक- 08.07.2009 द्वारा श्रीमती प्रतिमा सिंह, तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, रुन्नीसैदपुर, सीतामढ़ी के पदस्थापन काल में वित्तीय वर्ष 2003-04 से 2004-05 के वित्त अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0- 101/2007-08 के आधार पर श्रीमती सिंह के विरूद्ध विभाग को आरोप पत्र 'प्रपत्र क' उपलब्ध कराया गया। जिसमें श्रीमती सिंह पर वित्तीय अभिलेखों का अनियमित संधारण, सरकारी राशि का गबन एवं क्षति तथा दुर्निवियोग आदि का आरोप लगाया गया।

2. उक्त आरोपों के आलोक में श्रीमती सिंह के विरूद्ध विभाग स्तर पर आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित कर विभागीय संकल्प संख्या-368 दिनांक- 31.01.2013 द्वारा श्री आर0 आर0 झा, संयुक्त निदेशक, आई0सी0डी0एस0 निदेशालय, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी एवं श्री अनंत कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी, समाज कल्याण निदेशालय, बिहार, पटना को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त करते हुए विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया।

3. विभागीय संकल्प संख्या- 659 दिनांक- 19.02.2013 द्वारा उक्त विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के अंतर्गत सम्परिवर्तित किया गया।

4. विभागीय संकल्प संख्या- 4868 दिनांक- 20.10.2014 द्वारा उक्त विभागीय कार्यवाही हेतु श्री अमरनाथ मिश्र, अपर सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी एवं प्रशाखा पदाधिकारी-02, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

5. श्री अमरनाथ मिश्र, अपर सचिव-सह-संचालन पदाधिकारी के पत्रांक- 1814 दिनांक 30.04.2015 द्वारा जॉच प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा जॉच प्रतिवेदन में निष्कर्ष अंकित किया गया कि सभी आरोप वित्त विभाग, बिहार, पटना द्वारा उनके पदस्थापन काल यथा दिनांक 10.01.2004 से 31.01.2006 तक बाल विकास परियोजना कार्यालय, रुन्नीसैदपुर में उनके द्वारा बरती गई गंभीर वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित है, जिसका विधिवत एवं विस्तृत अंकेक्षण वित्त विभाग के मुख्य लेखा नियंत्रक, बिहार, पटना द्वारा कराया गया तथा लेखा नियंत्रक, बिहार, पटना के पत्रांक-885/वि॰अं॰ दिनांक 25.10.2010 द्वारा आरोपी पदाधिकारी को इसकी प्रति उपलब्ध कराये जाने के बावजूद इनके द्वारा अनुपालन अथवा निराकरण नहीं किया गया। विभागीय पत्र संख्या-674 दिनांक 20.08.2009 द्वारा इसकी समीक्षा हेतु एक वरीय अंकेक्षक की प्रतिनियुक्ति किये जाने के बावजूद आरोपी पदाधिकारी अनुपस्थित रहीं। आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध वित्तीय अभिलेखों के अनियमित संधारण, सरकारी राशि का गबन एवं क्षति तथा दुर्विनियोग के क्रमांक-i से xi तक सभी आरोप जो गंभीर प्रकृति के है, प्रमाणित होते है।

6. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन के आधार पर विभागीय पत्रांक-2016 दिनांक 14.05.2015 द्वारा आरोपी पदाधिकारी से द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गई। आरोप, आरोपी पदाधिकारी से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा एवं संचालन पदाधिकारी के मंतव्य के समीक्षोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा प्रमाणित आरोपों के लिए लोक मॉग वसूली अधिनियम के तहत श्रीमती सिंह के चल-अचल संपति से राशि रूपये 50,49,542.50 (पचास लाख उनचास हजार पाँच सौ बयालीस रूपये पचास पैसे) मात्र की वसूली करने का निर्णय लिया गया।

7. उक्त दण्ड के प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग से विभागीय पत्रांक-3932 दिनांक 14.09.2015 द्वारा परामर्श की माँग की गई। बिहार लोक सेवा आयोग का पत्रांक-1085 दिनांक 11.07.2016 द्वारा परामर्श विभाग को प्राप्त हुआ, जिसमें उल्लेख किया गया है कि "उनकी चल-अचल सम्पति से 50,49,542 /- रूपये की वसूली" करने का दण्ड वृहत् शास्ति (दण्ड) की श्रेणी में नहीं आता है; फलतः इस पर विभागीय स्तर पर ही निर्णय लिया जाना अपेक्षित है"।

8. माननीय मुख्यमंत्री, बिहार से अनुमोदन प्राप्त कर विभागीय अधिसूचना सं0- 3374 दिनांक-28.07.2016 द्वारा श्रीमती प्रतिमा सिंह, तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, रुन्नीसैदपुर, सीतामढ़ी के विरूद्ध दुर्विनियोग की राशि रूपये 50,49,542.50 (पचास लाख उनचास हजार पाँच सौ बयालीस रूपये पचास पैसे मात्र) की वसूली उनकी चल/अचल सम्पति से लोक माँग वसूली अधिनियम के अंतर्गत किए जाने का दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया गया।

9. उक्त दण्डादेश के विरुद्ध श्रीमती सिंह द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी०डब्लू० जे०सी०सं०-19980/2016 दायर किया गया है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक-19.06.2018 को आदेश पारित किया गया है, जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत् है-

"As held, the enquiry report is resting on no evidence and the order of the State Government bearing Memo No.3374 dated 28.7.2016 impugned at Annexure P/1 is resting on no material except bald allegation which has been mechanically accepted without meeting or discussing the objections raised by the petitioner thereto. Neither on merits nor on the jurisdiction exercised, is the order bearing Memo No.3374 dated 28.7.2016 impugned at Annexure P/1 sustainable and is accordingly quashed and set aside. The writ petition is allowed."

10. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सी०डब्लू० जे०सी० सं0-19980/2016 में दिनांक-19.06.2018 को पारित न्यायादेश के विरुद्ध विधि विभाग, बिहार, पटना का परामर्श प्राप्त कर विभाग द्वारा एल०पी०ए०सं०-516/2021 दायर किया गया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक-25.11.2024 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है-

"3. Perusal of the aforementioned paragraphs, sufficient cause has not been shown like dates and events. Except two dates of the year 2020 and 2021 and it is in respect of COVID-19 Pandemic, nothing has been narrated. COVID-19 period could have been condoned from March, 2020 till filing of the appeal in the year 2021. However, there is no explanation from 18.07.2018, the date on which cause of action is accrued for filing the appeal in February, 2020. In the absence of sufficient cause, such enormous delay cannot be condoned.

4. Accordingly, I.A. No.2 of 2021 stands rejected.

5. Resultantly, the present L.P.A. No.516 of 2021 stands dismissed. Pending Interlocutory Application(s), if any, stands disposed of."

11. उक्त आदेश द्वारा एल०पी०ए० खारिज हो जाने की स्थिति में विभाग द्वारा उक्त मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एस०एल०पी० दायर किये जाने के बिन्दु पर विधि विभाग से परामर्श प्राप्त किया गया, जो निम्नवत् है-

"L.P.A. No.-516/2021, stood dismissed on the ground inordinate delay of 1132 days in filing appeal for which there was no plausible explanation. As if gross latches in delayed filing of appeal was not enough to awaken the department, it has further caused delay beyond period of filing SLP.

Delay of 1132 days without any plausible explanation due to which L.P.A. has been dismissed can't be faulted. No case for filing SLP is made out. Order passed in writ petition be complied forthwith."

12. माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक- 19.06.2018 एवं दिनांक-25.11.2024 को पारित न्यायादेश एवं महाधिवक्ता, बिहार से प्राप्त परामर्श के आलोक में उक्त न्यायादेश के विरुद्ध अपील दायर नहीं किये जाने की स्थिति में पारित न्यायादेश का अनुपालन किया जाना बाध्यकारी होने के दृष्टिगत मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना सं0-1093 दिनांक-20.11.2018 में निहित प्रावधानानुसार इस मामले को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के विचारार्थ रखने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, वित्त विभाग एवं विधि विभाग की सहमति प्राप्त करते हुए नोडल विभाग विधि विभाग के माध्यम से समिति के समक्ष मामले को प्रस्तुत किये जाने पर उच्चस्तरीय समिति द्वारा कार्यवाही में लिए गए निर्णय के आलोक में निम्न अनुशंसा की गयी :- **"समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त CWJC NO-19980/2016 (प्रतिमा सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक-19.06.2018 को पारित न्यायोदश के अनुपालनार्थ प्रशासी विभाग के अधिसूचना ज्ञापांक- 3374 दिनांक- 28.07.2016 को निरस्त किये जाने की अनुशंसा की जाती है। यह याचिकाकर्ता के संदर्भ में हीं प्रभावी होगा एवं इसे पूर्वोदाहरण नहीं माना जायेगा"।**

13. समिति द्वारा की गई उपरोक्त अनुशंसा के समीक्षोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्रीमती प्रतिमा सिंह को विभागीय अधिसूचना सं0- 3374 दिनांक- 28.07.2016 द्वारा दिये गये दण्डादेश को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया है।

अतः उक्त के आलोक में श्रीमती प्रतिमा सिंह, तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, रुन्नीसैदपुर, सीतामढ़ी के विरूद्ध विभागीय अधिसूचना सं0- 3374 दिनांक- 28.07.2016 द्वारा उनके चल-अचल संपति से राशि रूपये 50,49,542.50 (पचास लाख उनचास हजार पाँच सौ बयालीस रूपये पचास पैसे) मात्र की वसूली किये जाने की शास्ति को निरस्त किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(योगेश कुमार सागर)
संयुक्त सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक:- स0क0निग0- 56/2017 (खण्ड)-7359 पटना-15 दिनांक-10.11.2025

प्रतिलिपि:- ई-गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 एवं हार्ड कॉपी के साथ बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

संयुक्त सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक:- स0क0निग0- 56/2017 (खण्ड)-7359 पटना-15 दिनांक-10.11.2025

निबंधित

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/ वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/ प्रमण्डलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर/ भागलपुर/ निदेशक, आई0सी0डी0एस0 निदेशालय, बिहार, पटना/ जिला पदाधिकारी, सीतामढी/बांका/जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सीतामढी/बांका/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/ सचिव, समाज कल्याण विभाग के आप्त सचिव/ विशेष कार्य पदाधिकारी (स्था०), समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना/ विभागीय आई० टी० मैनेजर (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु)/ श्रीमती प्रतिमा सिंह, तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, रुन्नीसैदपुर, सीतामढ़ी (सेवानिवृत्त), पत्राचार का पता- मो0- लक्ष्मी नारायण नगर, बेला, पो0- रामकृष्ण आश्रम, बेला, भाया- रमणा, जिला- मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव,
समाज कल्याण विभाग।